फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण ......मूलाराम...... बनाम ......रामेश्वर...... अप्रार्थीगण वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र मुकदमा नं. 25/ 2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स, जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री ...G. R. D...... के अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जबावदेही बाबत् तलब हो। मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर संबंधित भू.अ. निरीक्षक को जारी हो। मिसल दिनांक 06/7/21 को वास्ते तलबी व इन्तजार मौका रिपोर्ट पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	
06/7/2021	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 एवं 04 तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह ने अण्डरटेकिंग ली गई। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी सं. 03 व वकालतनामा इन्तजार आइन्दा दिनांक 28/07/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अण्डरटेकिंग देता हूँ (हस्ताक्षर) 6-07-2021
28/07/2021	पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। तलबी हेतु नोटिस प्रस्तुत। जारी हो। इन्तजार तलबी दिनांक 02/8/2021 को पेश हो। इतना लिखने पर वकील मुतरिफ ने वकालतनामा अप्रार्थीगण 01 व 02 की ओर से पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली आइन्दा दिनांक 23/09/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	
23/09/2021	पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं.1 द्वारा पूर्व में वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 02 के बावजूद पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थी सं. 03 की तरफ से वकील R.P. बेड़ा ने अण्डरटेकिंग लेते हुए वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया गया। अप्रार्थी सं. 02 बावजूद बार-बार आवाज के अनुपस्थित रहा। इसलिए अप्रार्थी सं. 02 के ---- (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	(हस्ताक्षर)

विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से जवाब प्रार्थना-पत्र व आपत्ति प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाकर शामिल मिसल किया गया।

आपत्ति प्रार्थना-पत्र मौका रिपोर्ट का वकील प्रार्थी जवाब नहीं देना चाहते है सीधी बहस करना चाहते हैं। तहसीलदार मौका रिपोर्ट पूर्व में दिनांक 01/9/2021 को प्राप्त हो चुकी है जो कि शामिल मिसल है। पत्रावली आइन्दा दिनांक 20/10/2021 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

20/10/2021

पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना-पत्र मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी ने प्रा. पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता नहीं दर्शाया है एवं अप्रार्थी की ढाणी एवं टांके के निर्माण की रिपोर्ट नहीं आई है। अत: दुबारा रिपोर्ट मंगवाई जावे।

वकील प्रार्थी ने सीधी बहस करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने रिपोर्ट का मुलायजा ही नहीं फरमाया है केवल आपत्ति लगाई है जो कि देरी करने के मकसद से आपत्ति लगाई है जबकि प्रस्तावित रास्ता एवं निकटतम रास्ते की रिपोर्ट पृथक से आई है। अत: आपत्ति खारिज योग्य है। खारिज फरमाई जावें।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता एवं निकटतम रास्ता का पृथक पृथक अंकन है एवं निर्माण नहीं होने का स्पष्ट अंकन है अत: इस स्तर पर दुबारा रिपोर्ट मंगवाने का औचित्य नहीं रह जाता है।

अत: वकील अप्रार्थी की आपत्ति इसी स्तर पर खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली में जवाब प्रा.-पत्र प्राप्त हो चुका है अत: पत्रावली वास्ते अंतिम बहस आइन्दा दिनांक 03/11/2021 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

03/11/2021

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली जरिए आदेशिका की पालना में दिनांक 10.11.21 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मूलाराम	बनाम्	रामेश्वर
		मुकदमा नं.– /

केस्म प्रकरण :

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10.11.2021	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता PGRCS –21 में व्यस्त पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 24.11.21....को प्रस्तुत करें।	
24.11.2021	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। अर्जि. प्रा. पत्र बहस अन्तिम हेतु आइन्दा दिनांक 29/11/2021 को पत्रावली पेश हो [signature] उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	[signature] Adv. 24.11.21
29/11/2021	पत्रावली प्रस्तुत। वकलाय फरीकेन उपस्थित वकलाय की सहमति पर बहस प्रार्थना-पत्र 251-A अन्तिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आइन्दा दिनांक 14/12/22 को पेश हो [signature] उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	[signature] 29.11.2[illegible] [signature]
14/12/21	पत्रावली प्रस्तुत। वकलाय उप० समयाभाव से न्यायालय तंग रहने से आदेश सुनाया नहीं गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28.2.22 को पेश हो [signature] उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	
28/2/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता बार संघ Jayal द्वारा कार्य बहिष्कार पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 28/4/22....को प्रस्तुत करें।	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
28/4/22	पत्रावली प्रस्तुत पत्रावली वास्ते मजीद बहस हेतु आइन्दा दिनांक 11-5-2022 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	
11/5/22	वकुलाय उभय मजीद बहस सुनी गई। फैसला वास्ते आदेश दिनांक 18/5/2022 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	
18/5/22	वकुलाय उभय प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं होने तथा आवश्यक पक्षकार संयोजन की तकनीकी खामी से स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखकर जारी कर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली निर्णय नम्बर से कम होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे। उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)	

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 25/2021

प्रार्थी :–

1. मूलाराम पुत्र बीरमाराम
   जाति–जाट, निवासी–मेरवास ,तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामेश्वर पुत्र पूर्णाराम
2. जसू पत्नी पूर्णाराम
3. चुनाराम पुत्र बीरमाराम
   जाति–जाट, निवासी–मेरवास, तहसील–जायल जिला–नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका अप्रार्थी सं.01 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
4. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा अप्रार्थी सं.03 की ओर से।
5. अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं उपस्थित।

दिनांक 18/05/2022

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेताय मौजा धारणा तहसील–जायल में खाता संख्या 122 के खेत खसरा नंबर 431 रकबा 5.1233 हैक्टेयर रहता चला आया है। प्रार्थी अपने सहखातेदारी के खेत में आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि खेत खसरा नंबर 462, 433, 432 में से माफिक नजरीनक्शानुसार चलते हुए रास्ते से आते जाते रहे हैं। इसी रास्ता से प्रार्थी अपने सहखातदेारी के खेत में काश्त करसण करता रहा है। तथा अपने पशुधन ट्रेक्टर , उंट, छकड़ा आदि लाता जाता रहा है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नजदीक रास्ता से नहीं होने से यही एक मात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने सहखातेदारी के खेत में आना जाना कर सकें व खेती कार्य कर सके जो नजदीकी रास्ते से सबसे कम दूरी का यहीं एक मात्र रास्ता है। जिससे माफिक नजरीनक्शानुसार मार्क ए से बी तक रास्ता दर्ज करना आवश्यक हुआ है। उक्त नजरीनक्शा माफिक रास्ता मार्क ए से बी तक राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है।

18/05/2022
उप खण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

2. प्रार्थी , अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत से बने नजरीनक्शा माफिक रास्ता से होता हुआ प्रार्थी के खेत तक 15 फुट चौड़ा पूरी लम्बाई तक माफिक नजरीनक्शानुसार चलता आया है। तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वर्षो से चलते आ रहे रास्ते की भूमि को प्रार्थी रास्ते के रूप में काम में ले रहा है तथा रास्ता की भूमि के किसी भी खसरे के रास्ता लगने पर सभी खसरों में रास्ता होना कानूनन आवश्यक है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को अपने सहखातेदारी की आड़ में खसरा नंबर 431 में नहीं आने जाने की मंशा से जाहिर करते हुवे धमकी दे रहा है जबकि प्रार्थी की सहखातेदारी की पुश्तैनी भूमि होने से कानूनन हक अधिकार प्राप्त है कि वो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि में से अपने खेत में आना जाना व सम्पूर्ण कार्य कर सकें तथा इस रास्ते का कटाणी रास्ता दर्ज करवा सकें। प्रार्थना पत्र के साथ वांछित रास्ते मार्क ए से बी का नजरीनक्शा भी पेश है जो कि प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सिवाय अन्य किसी तरफ से कटाणी रास्ता के नजदीकी कोई रास्ता नहीं है तथा इस रास्ते से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को आना जाना बंद कर दिया है तथा प्रार्थी का खेत में आना जाना नहीं हो रहा है जिसके कारण प्रार्थी का खेत में प्रवेश करना संभव नहीं होने से खेत बंजर हो जायेगा , उपजाउ नहीं हो सकता तथा खेत में आना जाना नहीं होने से आवागमन प्रभावित होगा तथा काश्त भी प्रभावित होगी। प्रार्थी वांछित रास्ता मार्क ए से बी की भूमि हेतु ऐवज में सरकार द्वारा निर्धारित राशि अदा करने को भी तैयार है। अप्रार्थी संख्या 3 को प्रार्थी के सहखातेदार होने से आवश्यक परफोमा पक्षकार बनाया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा धारणा के खेत खसरा नंबर 462 , 433, 432 में से माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ता घोषित फरमावें। उक्त रास्ते बाबत् प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने वकालातनामा पेश कर जबाब आपति एवं आपति प्रार्थना पत्र पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद पर्याप्त तामिल न्यायालय से गैर हाजिर रहे, बार–बार आवाजें लगाई गई लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 या अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता हाजिर नहीं हुवे इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने वकालतनामा पेश किया जो पत्रावली शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जायल को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

प्रकरण हाजा में न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार जायल द्वारा मौका रिपोर्ट पत्रांक 2021/3483 दिनांक 01.09.2021 को प्राप्त हुई, जो पत्रावली में शामिल मिशल है। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नंबर 431 हेतु सलंग्न नजरीनक्शानुसार रास्ता चाहा है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते की वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 के नजदीकी कटाणी रास्ता खसरा नंबर 463 है। जो प्रार्थी के खेत के दक्षिणी पूर्वी कोने की तरफ से नजदीक है तथा प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते पर वर्तमान में किसी प्रकार का निमार्ण नहीं है।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौका रिपोर्ट में मौजा धारणा के खसरा नंबर 433 में जहां रास्ता चाहा गया है वहां अप्रार्थी संख्या 1 ने रहवासी ढाणी व पानी का टांका बना हुआ है लेकिन मौका रिपोर्ट में नहीं बताया हुआ है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 की ढाणी को छोड़कर मार्ग दिया जाता है तो अप्रार्थी की 2 बीघा भूमि खराब होगी तथा अन्यथा अप्रार्थी संख्या 1 की ढाणी व पानी का टांका तोड़ना पड़ेगा। मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 में खसरा नंबर 417 में से वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी मौका रिपोर्ट में नहीं बताया है वह मंगावाना आवश्यक है। अतः अनुवान में दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने की कृपा करावें।

अप्रार्थी रामेश्वर ने जरिये अधिवक्ता जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 पूरा सही नहीं होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 मौजा धारणा के सहखातेदारों को प्रार्थी पक्षकार तक नहीं बनाया है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पक्षकाराने के अभाव में खारिज योग्य है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि खसरा नंबर 431 में खसरा नंबर 462, 433, 432 में से होकर कोई पुराना रास्ता हो तथा प्रार्थी इसी रास्ते से कभी अपने खेत में आता जाता हो बल्कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 में प्रार्थी उतर दिशा जहां प्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुई है उस दिशा से आता जाता है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 के उतरी दिशा में खसरा नंबर 417 से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी प्रार्थी ने उक्त रास्ते को छुपाया है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि उक्त प्रार्थना पत्र में बताया गया रास्ता सबसे नजदीक हो बल्कि खसरा नंबर 465 गैर मुमकिन गौचार मौजा धारणा से खसरा नंबर 432 की पूर्वी माठ से सबसे नजदीक रास्ता लगता है। खसरा नंबर 465 में से होकर मुरडीया सड़क खसरा नंबर 432 तक बनी हुई है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को खसरा नंबर 432 की पूर्वी दिशा में रास्ता देने व रजिस्ट्री अपने नाम करवाने को कहा लेकिन प्रार्थी , अप्रार्थी संख्या 1 को नुकसान पहुचाने की यित से खसरा नंबर 462, 433, 432 मे से रास्ता चाह रहा है। जबकि खसरा नंबर 433 में जहां रास्ता चाहा गया है। वहां प्रार्थी की रहवासी ढाणी एवं पानी का हौज 50 साल पुराने बने हुवे है। प्रार्थी नजरी नक्शा मार्क ए से बी रास्ता प्राप्त करने का किसी

उप खण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

प्रकार से अधिकारी नहीं हैं। जबकि खसरा नंबर 462, 433, 432 के गौचर भूमि खसरा नंबर 465 लगती है। अप्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 432 की अपनी पूर्वी माठ से प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के रूप में रजिस्ट्री करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नंबर 462 , 433, 432 में नजरीनक्शा मार्क ए से बी कोई रास्ता चलता हो तथा इसे प्रार्थी आवागमन में काम लेता हो। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी ने उनको कोई कभी धमकी दी हो बल्कि प्रार्थी धारणा गांव के नहीं है मात्र खेत में चौमासा में रहते हैं। तथा प्रार्थी अपने ढाणी व खेत मेरवास के रास्ते होते हुए अपने खेत व ढाणी में आते जाते है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि प्रार्थी के नजरीनक्शा के अलावा कोई रास्ता नहीं हो बल्कि खसरा नंबर 433 के उतरी दिशा में प्रार्थी की ढाणी बनी हुई है उसे ढाणी से अपने खेत खसरा नंबर 431 में आते जाते है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 के उतरी दिशा में खसरा नंबर 417 से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी प्रार्थी ने उक्त रास्ते को छुपाया है। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि उक्त प्रार्थना पत्र में बताया गया रास्ता सबसे नजदीकी हो बल्कि खसरा नंबर 465 में से होकर मुरड़िया सड़क खसरा नंबर 432 तक बनी हुई है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को खसरा नंबर 432 की पूर्वी माठ में रास्ता देने व रजिस्ट्री अपने नाम करवाने को कहा लेकिन प्रार्थी , अप्रार्थी संख्या 1 को नुकसान पहुचाने की यित से खसरा नंबर 462, 433, 432 मे से रास्ता चाह रहा है। जबकि खसरा नंबर 433 में जहां रास्ता चाहा गया है। वहां प्रार्थी की रहवासी ढाणी एवं पानी का हौज 50 साल पुराने बने हुवे है। प्रार्थी नजरी नक्शा मार्क ए से बी रास्ता प्राप्त करने का किसी प्रकार से अधिकारी नहीं हैं। जबकि खसरा नंबर 462, 433, 432 के गौचर भूमि खसरा नंबर 465 लगती है। अप्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 432 की अपनी पूर्वी माठ से प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के रूप में रजिस्ट्री करवाने को तैयार है। प्रार्थी खसरा नंबर 432 के पूर्वी माठ के पास रास्ता के रूप में रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। मात्र अप्रार्थी के तीनो खेत खसरा नंबर 462, 433, 432 की भूमि को खराब करने की बदनियती से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि खसरा नंबर 462 के उतरी तरफ, खसरा नंबर 433 के पूर्वी तरफ तथा खसरा नंबर 432 के दक्षिणी तरफ 20 फुट उच्चा पुराना डोला लगा हुआ है। उसमें पेड़ पौधे लगे हुए है। मात्र अप्रार्थी को तंग करने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी अपने खेत में काश्त करता आ रहा है। उनकी काश्त किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रही है। अतः जबाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

5. वकुलाय की सहमति एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत दर्ज प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है तथा इनका निर्धारित समय सीमा

उप खण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

अर्थात 90 दिवस में संबंधित पक्षकारान को सुनकर/सूचित किया जाकर निस्तारण किये जाने का प्रावधान होने के कारण पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम सुनवाई हेतु नियत की गई।

6. दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी , अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत से बने नजरीनक्शा माफिक रास्ता से होता हुआ प्रार्थी के खेत तक 15 फुट चौड़ा पूरी लम्बाई तक माफिक नजरीनक्शानुसार चलता आया है। तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वर्षो से चलते आ रहे रास्ते की भूमि को प्रार्थी रास्ते के रूप में काम में ले रहा है तथा रास्ता की भूमि के किसी भी खसरे के रास्ता लगने पर सभी खसरों में रास्ता होना कानूनन आवश्यक है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को अपने सहखातेदारी की आड़ में खसरा नंबर 431 में नहीं आने जाने की मंशा से जाहिर करते हुवे धमकी दे रहा है जबकि प्रार्थी की सहखातेदारी की पुश्तैनी भूमि होने से कानूनन हक अधिकार प्राप्त है कि वो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि में से अपने खेत में आना जाना व सम्पूर्ण कार्य कर सकें तथा इस रास्ते का कटाणी रास्ता दर्ज करवा सकें। प्रार्थना पत्र के साथ वांछित रास्ते मार्क ए से बी का नजरीनक्शा भी पेश है जो कि प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सिवाय अन्य किसी तरफ से कटाणी रास्ता के नजदीकी कोई रास्ता नहीं है तथा इस रास्ते से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को आना जाना बंद कर दिया है तथा प्रार्थी का खेत में आना जाना नहीं हो रहा है जिसके कारण प्रार्थी का खेत में प्रवेश करना संभव नहीं होने से खेत बंजर हो जायेगा , उपजाउ नहीं हो सकता तथा खेत में आना जाना नहीं होने से आवागमन प्रभावित होगा तथा काश्त भी प्रभावित होगी। प्रार्थी वांछित रास्ता मार्क ए से बी की भूमि हेतु ऐवज में सरकार द्वारा निर्धारित राशि अदा करने को भी तैयार है। अप्रार्थी संख्या 3 को प्रार्थी के सहखातेदार होने से आवश्यक परर्फोमा पक्षकार बनाया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा धारणा के खेत खसरा नंबर 462 , 433, 432 में से माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ता घोषित फरमावें। उक्त रास्ते बाबत् प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान किया तथा प्रार्थी पक्ष की ओर से दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया जाना तथा मिथ्या एवं आधारहीन, सारहीन होना बताया। प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज एवं तथ्य बनावटी होने के संबंध में कथन किया कि मौका रिपोर्ट में मौजा धारणा के खसरा नंबर 433 में जहां रास्ता चाहा गया है वहां अप्रार्थी संख्या 1 ने रहवासी ढाणी व पानी का टांका बना हुआ है

उप खण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

लेकिन मौका रिपोर्ट में नहीं बताया हुआ है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 की ढाणी को छोड़कर मार्ग दिया जाता है तो अप्रार्थी की 2 बीघा भूमि खराब होगी तथा अन्यथा अप्रार्थी संख्या 1 की ढाणी व पानी का टांका तोड़ना पड़ेगा।

प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 मौजा धारणा के सहखातेदारों को प्रार्थी पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पक्षकारान् के अभाव में खारिज योग्य है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि खसरा नंबर 431 में खसरा नंबर 462, 433, 432 में से होकर कोई पुराना रास्ता हो तथा प्रार्थी इसी रास्ते से कभी अपने खेत में आता जाता हो बल्कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 में प्रार्थी उतर दिशा जहां प्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुई है उस दिशा से आता जाता है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 के उतरी दिशा में खसरा नंबर 417 से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी प्रार्थी ने उक्त रास्ते को छुपाया है। प्रार्थना पत्र में बताया गया रास्ता सबसे नजदीक हो बल्कि खसरा नंबर 465 गैर मुमकिन गौचार मौजा धारणा से खसरा नंबर 432 की पूर्वी माठ से सबसे नजदीक रास्ता लगता है। खसरा नंबर 465 में से होकर मुरडीया सड़क खसरा नंबर 432 तक बनी हुई है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को खसरा नंबर 432 की पूर्वी दिशा में रास्ता देने व रजिस्ट्री अपने नाम करवाने को कहा लेकिन प्रार्थी , अप्रार्थी संख्या 1 को नुकसान पहुचाने की नियत से खसरा नंबर 462, 433, 432 मे से रास्ता चाह रहा है। जबकि खसरा नंबर 433 में जहां रास्ता चाहा गया है। वहां प्रार्थी की रहवासी ढाणी एवं पानी का हौज 50 साल पुराने बने हुवे है। प्रार्थी नजरी नक्शा मार्क ए से बी रास्ता प्राप्त करने का किसी प्रकार से अधिकारी नहीं हैं। जबकि खसरा नंबर 462, 433, 432 के गौचर भूमि खसरा नंबर 465 लगती है। अप्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 432 की अपनी पूर्वी माठ से प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के रूप में रजिस्ट्री करवाने को तैयार है।

प्रार्थी का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नंबर 462 , 433, 432 में नजरीनक्शा मार्क ए से बी कोई रास्ता चलता हो तथा इसे प्रार्थी आवागमन में काम लेता हो। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी ने उनको कोई कभी धमकी दी हो बल्कि प्रार्थी धारणा गांव के नहीं है मात्र खेत में चौमासा में रहते हैं। तथा प्रार्थी अपने ढाणी व खेत मेरवास के रास्ते होते हुए अपने खेत व ढाणी में आते जाते है। मात्र अप्रार्थी के तीनो खेत खसरा नंबर 462, 433, 432 की भूमि को खराब करने की बदनियती से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि खसरा नंबर 462 के उतरी तरफ, खसरा नंबर 433 के पूर्वी तरफ तथा खसरा नंबर 432 के दक्षिणी तरफ 20 फुट उच्चा पुराना डोला लगा हुआ है। उसमें पेड़ पौधे लगे हुए है। मात्र अप्रार्थी को तंग करने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी अपने खेत में काश्त करता आ रहा है। उनकी काश्त किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रही है।

उप खण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने सहखातेदारी के खेत खसरा नंबर 431 में आने जाने हेतु खेत खसरा नंबर 462, 433, 432 में से रास्ते की मांग की है जिसमें खसरा नंबर 432 का खातेदार रास्ता देने हेतु सहमत है तथा मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक मार्फत तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक 3483 दिनांक 1.09.2021 के प्राप्त हुई में वैकल्पिक रास्ते का अभाव तथा खसरा नंबर 465 गैर मुमकिन गोचर से निकटतम आने जाने का रास्ता बताया है। चूकिं खेत खसरा नंबर 431 वर्तमान में सहखातेदारी में दर्ज है प्रार्थी की ओर से सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे प्रार्थी किस तरफ से काश्त करसण करता है का उल्लेख नहीं किया जा सकता साथ ही खसरा नंबर 465 गैर मुमकिन गोचर एवं खेत खसरा नंबर 417 से नजदीकी रास्ता पड़ता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गैर मुमकिन गोचर खसरा नंबर 465 में से आवाजाही की जा सकती है जिससे प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता एवं रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन, मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 431 मौजा– धारणा ,तहसील–जायल में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है, जबकि प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नंबर 431 के सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने तथा गैर मुमकिन गोचर खसरा नंबर 465 से आवाजाही कर सकने तथा खेत खसरा नंबर 432 का खातेदार रास्ता देने हेतु सहमत होने से प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता का प्रश्न नहीं रहता है। धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशानुसार किसी भी खातेदार काश्तकार को वैकल्पिक रास्ते का अभाव, निकटतम कटाणी रास्ते से रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर दिये जाने का प्रावधान है। जबकि प्रकरण में वांछित रास्ते हेतु खेत खसरा नंबर 432 के खातेदार द्वारा रास्ते हेतु सहमत देने तथा खसरा नंबर 465 गैर मुमकिन गोचर में से आवाजाही की जा सकने से आत्यंतिक आवश्यता एवं रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं होता है साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने खेत के सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से तकनीकी खामी प्रतीत होती है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत यत् प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत ग्राम– धारणा तहसील–जायल के खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

नं. 431 के लिए कृषि कार्य करने हेतु एवं आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने के लिए खेत खसरा नंबर 432 के खातेदार द्वारा रास्ते हेतु सहमति प्रदान करने तथा खसरा नंबर 465 गैर मुमकिन गोचर में से आवाजाही की जा सकने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यता एवं रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं होता है, साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने खेत के सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से तकनीकी खामी के कारण तथा न्यायालय हाजा में अपूर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251 क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा तकमील दाखिल दफ्तर हो।

18/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

यह आदेश आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

18/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल